दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 15 जनवरी, 2014
निर्णय निर्णित तिथि : 20 जनवरी, 2014

<u>आप.अ. 648/2011 और आप.वि.(जमानत) 647/2013</u>

विशाल ..... अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री गरिमा भारद्वाज, अधिवक्ता के साथ
सुश्री नईम जहां हीना, अधिवक्ता।

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एन.दुदेजा, अति.लो.अभि.

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग

<u>न्या. एस.पी. गर्ग,</u>

1. विशाल (अपीलार्थी) प्राथमिकी सं.128/10 थाना सराय रोहिल्ला से उद्भूत सत्र मामला सं.56/10 में दिनांक 04.08.2010 के निर्णय द्वारा भा.दं.सं. कि धारा 397 और 27 शस्त्र अधिनियम के साथ पठित धारा 392 के तहत अपराधों के लिए अपनी दोषसिद्धि पर सवाल उठाने की मांग करता है। दिनांक

07.08.2010 को सजा के आदेश द्वारा उसे भा.दं.सं. की धारा 392 के साथ पठित धारा 397 भा.दं.सं. के तहत सात साल के लिए कठोर कारावास और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन साल के लिए सादा कारावास की सजा सुनाई गई। तथ्यात्मक मैट्रिक्स जिससे अपील उद्भूत होती है, निम्नानुसार है:

2. दिनांक 21.04.2010 को अपराह्न लगभग 12.15 बजे सुरेंद्र कुमार अपनी बेटी की शादी के लिए डिनर सेट खरीदने के लिए डिप्टी गंज मार्केट जाने के लिए दया बस्ती से रूट नंबर 231 पर एक निजी बस सं. 3553 में सवार हुए। उनकी जेब में 16,500/- रुपये थे। भारी भीड़ वाली बस में चार हमलावरों ने उनसे 16,500 रुपये लूट लिए थे। अलार्म बजाने पर हमलावर बस से उतर गए और शिकायतकर्ता ने उनका पीछा किया। वह अपीलार्थी को पकड़ने में सफल रहे, जिसने अपने पास से एक बटनदार चाकू निकालकर विरोध करने का प्रयास किया था। शिकायतकर्ता ने उसे काबू में किया और पुलिस को सूचना दी। जांच अधिकारी ने उसका बयान दर्ज करने के बाद प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की (प्र.अभि.सा.-1/अ)। अपीलार्थी के सहयोगियों का पता लगाने का प्रयास किया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तथ्यों से परिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए और जांच पूरी होने के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें उस पर विधिवत आरोप लगाया गया और विचारण के लिए लाया गया। अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों से पूछताछ किया। 313 के कथन में, अपीलार्थी ने अपराध में

सह-अपराधिता से इनकार किया और झूठी विवक्षा की। विचारण के परिणामस्वरूप उसे पूर्वोक्त दोषसिद्धि प्राप्त हुई।।

3. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेख की बारीकी से जांच की है। पुलिस तंत्र को गति दी गई जब दैनिक डायरी (डीडी) सं. 36 ख (प्र.अभि.सा.-2/ख) को थाना सराय रोहिल्ला में 13.30 बजे अभिलेखित किया गया। हालाँकि , डीडी प्रविष्टि की सामग्री से पता चलता है कि उन्हें झुग्गी सं. जी -307, दया बस्ती, आरपीएफ लाइन, माछी मार्केट में "झगड़े" के बारे में एक सूचना मिली थी। इसमें सूचना देने वाले के नाम का उल्लेख नहीं है। पु.नि.क. (पुलिस नियंत्रण कक्ष) से सूचना मिलने पर यह जानकारी अभिलेखित की गई थी। हालाँकि विचारण के दौरान पु.नि.क. के ऐसे किसी अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई। यह घटना लगभग 12.15 बजे हुई और उसके तुरंत बाद, अपीलार्थी को कथित तौर पर मौके पर पकड़ लिया गया और शिकायतकर्ता ने पुलिस को 100 नंबर पर सूचित किया। शिकायतकर्ता ने बयान (प्र.अभि.सा.-1/अ) में यह खुलासा नहीं किया कि क्या पु.नि.क. अधिकारी मौके पर पहुंचे थे या आरोपी को हथियार के साथ उन्हें सौंप दिया गया था। प्र.अभि.सा.-1/अ पर पृष्ठांकन (प्र.अभि.सा.-3/अ) से स्थानीय पुलिस के जांच अधिकारी के आगमन के समय किसी भी पु.नि.क. अधिकारी की उपस्थिति का पता नहीं चलता है। शिकायतकर्ता ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि घटनास्थल पर

पकड़े गए आरोपी को पु.नि.क. अधिकारियों को क्यों नहीं सौंपा गया, जो कथित तौर पर घटना के लगभग 20 मिनट बाद मौके पर पहुंचे। इसके बाद करीब 10/15 मिनट बाद स्थानीय पुलिस पहुंची। इन्क्शाफ ब्यान (प्र.अभि.सा.1/घ) में यह दर्ज किया गया था कि अपीलार्थी के सहयोगी बसों में जेब काटने के लिए उसके मोबाइल पर उससे संपर्क करते थे। हालाँकि, अपीलार्थी की गिरफ़्तारी के तुरंत बाद उसके पास से ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं हुआ। इन्क्शाफ ब्यान (प्र.अभि.सा.-1/घ) में दर्ज है कि अपराध के बाद अपीलार्थी के पास मौजूद मोबाइल फ़ोन ज़मीन पर गिर गया था। हालाँकि , जांच के किसी भी चरण में पुलिस द्वारा ऐसा कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं किया गया था। पुलिस रिमांड मांगने के बावजूद, जांच एजेंसी अपीलार्थी के सहयोगियों की पहचान का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में असमर्थ रही। लूटी गई राशि बरामद नहीं कि जा सकी। जांच अधिकारी ने यह सत्यापित नहीं किया कि शिकायतकर्ता ने 16,500/- रुपये की व्यवस्था कहां से की थी। घटना किस स्थान पर हुई, इसका पता नहीं नहीं लगाया जा सका है। जांच के किसी भी चरण में कोई स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह नहीं जुड़ा था। यह रिकॉर्ड में पाया गया है कि अपीलार्थी को जनता द्वारा पीटा गया था और उसकी चिकित्सा जांच की गई थी। सार्वजनिक व्यक्तियों की उपलब्धता के बावजूद, बिना किसी उचित कारण के उनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया गया था ।

4. शिकायतकर्ता ने अपने बयान (प्र.अभि.सा.1/अ) में पुलिस को दिए गए अपने शुरुआती बयान में खुलासा किया कि जब उसने बस में अलार्म बजाया, तो चार हमलावर उतर गए और मौके से भागने लगे। वह चाकू निकालने वाले हमलावरों में से एक को पकड़ने में सक्षम था। उक्त लड़के को काबू कर लिया गया और उसके दाहिने हाथ से एक बटनदार चाकू छीन लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि "खुली हलात में" शब्द बाद में कथन (प्र.अभि.सा.1/अ) में डाले गए हैं। शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी के अन्य सहयोगियों/साथियों का हुलिया नहीं बताया, जिन्होंने उसे बस में धकेला था और उससे 16,500/- रुपये की नकद लुटा था। अभि.सा.-1 के रूप में अपने न्यायालय के बयान में, शिकायतकर्ता ने प्रत्येक हमलावरों कि कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई और अस्पष्ट शब्दों में खुलासा किया कि 'चार व्यक्तियों' ने उसे धक्का दिया और बस में भीड़ के बहाने उसे हाथ ऊपर रखने के लिए कहा। उन्होंने अस्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने उनकी पैंट की भीतरी जेब से 16,500/- रुपए "जबरन" निकाल लिए। उन्होंने यह नहीं बताया कि किस बल का प्रयोग किया गया और किस तरीके से किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा उनकी भीतरी जेब में पड़े नोट निकाले गए। अपीलार्थी को उनकी जेब से नकद छीनने में कोई विशिष्ट और निश्चित भूमिका नहीं बताई गई थी। आरोपी की तलाशी के समय बस में चालक और परिचालक या कोई अन्य यात्री सहयोगी नहीं था। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके पास से जेबकतरा का कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। अपीलार्थी, जो कथित तौर पर एक घातक हथियार से लैस था, ने अपने

आप को आशंका से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। शिकायतकर्ता या जनता को चाकू से कोई चोट नहीं पहुंचाई गई, जो उसे पीट रही थी। शिकायतकर्ता ने खुद खुलासा किया कि उसके बाद अपीलार्थी को मुर्गा बाजार ले जाया गया, उसे वहां बैठाया गया। उसने वहां से भागने का प्रयास नहीं किया। बिना किसी विशिष्ट/प्रत्यक्ष कृत्य के बस के अंदर शिकायतकर्ता की उपस्थिति उसके अपराध को साबित करने या स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, खासकर जब उसके पास से कोई लूटी गई वस्तु बरामद नहीं हुई थी। यह सत्य है कि अभि.सा.-1 (सुरेंद्र कुमार) का आरोपी को झूठा फंसाने का कोई गुप्त मकसद नहीं था, जिसके साथ उसकी कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी। लेकिन गलत पहचान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चार व्यक्ति थे जिन्होंने कथित तौर पर अपराध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस अन्य तीन के साथ वर्तमान अपीलार्थी की सांठगांठ का पता लगाने में असमर्थ थी, जो मौके से भाग गए थे। अभियोजन पक्ष के मामले में विभिन्न विसंगतियों और कमियों के आलोक में किसी भी पुष्टि के अभाव में अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए शिकायतकर्ता की एकमात्र गवाही सुरक्षित नहीं है। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी का कारण नहीं बताया गया है।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त, भा.दं.सं. की धारा 397 की सहायता से दोषसिद्धि उचित नहीं थी क्योंकि चोरी करते समय अपीलार्थी द्वारा किसी भी "घातक" हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कथित लूट की घटना बस के

अंदर हुई थी, जहां किसी भी अपराधी ने शिकायतकर्ता को अत्यधिक भयभीत या डराने के लिए किसी घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। अपीलार्थी के पास कोई लूटी हुई/चोरी हुई वस्तु नहीं पाई गई और उसने (क) चोरी करने के लिए; या (ख) चोरी करते समय; या (ग) चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने में चाकू का प्रयोग नहीं किया, जिससे कि उपरोक्त परिस्थितियों में चोरी को डकैती मान लिया जाए, तथा उस पर धारा 390 भा.दं.सं. लागू हो। अपीलार्थी द्वारा कथित तौर पर चाकू निकाला गया था जब उसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए उसका पीछा किया जा रहा था। *क्वीन एम्प्रेस बनाम बेनी, (1901) आईएलआर 23 सभी 78, जिसमें न्या. हेंडरसन, ने कहा कि "जहां कई व्यक्ति एक घर में घुसने का प्रयास करते पाए गए थे, और उनमें से कुछ ने सशस्त्र होने के कारण हिंसा का प्रयोग किया था, लेकिन केवल गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के साथ धारा 397 के तहत उचित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता।"*

6. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को आरोप से बरी किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं हो तो उसे तुरंत स्वतंत्र किया जाए। विचारण

न्यायालय के अभिलेख को तुरंत वापस भेजा जाए। लंबित आवेदन का भी निपटान किया जाता है।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

20 जनवरी 2014/टीआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*